UPBS010038222026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1169/2026

1- श्याम लली उम्र लगभग 60 वर्ष पत्नी स्व० रामदेव,
निवासी साकिन चौगोड़वा, (रामगढ़) थाना छावनी, जिला बस्ती।

..... आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश।

.....विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या- 65/2026
धारा-103(1),85 भा०न्या०सं०
थाना- छावनी, जिला बस्ती।

दिनाँक : 18.07.2026

1- आवेदिका/अभियुक्ता श्याम लली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 65/2026, अन्तर्गत धारा-103(1),85 भा०न्या०सं० थाना छावनी, जनपद बस्ती के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2- प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कथन जमानत प्रार्थनापत्र के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही निर्णीत हुआ है। प्रार्थिनी निर्दोष है। प्रथम सूचना का दोषारोपण गलत है। विवेचना से केवल सास व पति के विरूद्ध आरोप पत्र लगा है। मृतक अलग रहने की जिद करती थी, पति के न मानने के कारण उसने स्वयं आग लगायी है। बुझाने में लड़के राम सूरत का भी हाथ जला था। घटना के तुरन्त बाद इलाज हेतु मेडिकल कालेज लखनऊ ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो यी। प्रार्थिनी की नातिन आनिया को वादी पक्ष अपने पास उठा ले गये और उसे बहका फुसलाकर झूठे तथ्य कहलवा रहे है। प्रार्थिनी बुजुर्ग महिला है। प्रार्थिनी को यदि जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग नहीं करेगी। जमानत प्रार्थनापत्र शपथ-पत्र से समर्थित है।

3- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा आपत्ति की गयी है।

SHAMSUL HAQUE
SESSIONS JUDGE
BASTI

Digitally signed by SHAMSUL HAQUE
Date: 2026.07.18 12:53:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4- प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा भरत की पुत्री सीमा आयु लगभग 30 वर्ष की शादी मई 2018 में राम सूरत के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपये नकद घरेलू सामान व 20 ग्राम सोना भी दिया गया गया। एक साल तक पुत्री ठीक-ठाक रही, उसके बाद ससुराल पक्ष के लोग पुत्री को मारने-पीटने लगे, प्रताड़ित करने लगे। इसके पूर्व थाना छावनी में मारपीट की घटना के संबंध में सीमा द्वारा सूचना दी गई थी। दिनांक-04.04.2026 को लगभग 11 बजे रात्रि में राम सूरत, परसुराम, भगवान, रमा, मुन्नी, श्यामा तथा श्यामकली ने मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री सीमा के ऊपर डीजल डालकर जलाकर मार डाले। इस घटना की चश्मदीद मृतका की पुत्री आनिया आयु 5 वर्ष है। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

5- वादी मुकदमा का बयान धारा-180 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत सी.डी. पर्चा नं० 2 के क्रम सं० 2 पर दर्ज किया गया है। जिसमें स्पष्ट किया गया कि मृतका की पुत्री आनिया आयु 5 वर्ष ने घटना देखा तथा वह डरी हुई है। उसने बताया कि मम्मी के ऊपर डीजल डालकर दादी व पापा माचिस से आग लगा दिये, जिससे मम्मी जलने लगी। चश्मदीद साक्षी राम आशीष का बयान भी दर्ज किया गया है। जिन्होंने बताया कि डीजल तेल के साथ जलने जैसी दुर्गन्ध आ रही थी और वहां पर राम सूरत व उनकी मां श्यामलली मौजूद थी तथा रामसूरत की औरत को पकड़कर कमरे से बाहर निकाल रही थी। औरत जलने के कारण तड़प रही थी। तत्काल उसे इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया। मृतका की पुत्री आनिया आयु लगभग 5 वर्ष का बयान सी.डी. पर्चा नं० 5 के क्रम सं० 2 पर धारा-180 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत दर्ज किया गया है। जिसमें उसने बताया कि उसकी मां को उसके पापा रामसूरत व दादी श्यामलली डीजल डालकर माचिस के जलाकर मार डाले तथा रोने लगी।

मृतका का पोस्टमार्टम हुआ है। जिसमें मृतका के शरीर पर एक चोट सुपरफीशियल चमड़े के नीचे तलवा को छोड़कर पूरा शरीर जला हुआ पाया गया। चमड़ा काले रंग का तथा जला हुआ हिस्सा लाल रंग का, बाल झुलसा हुआ पाया गया तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व जलने के कारण शाक से होना बताया गया। अभियुक्ता की ओर से यह कथन किया गया कि उसके पुत्र द्वारा स्वयं उसको बचाने का प्रयास किया गया तथा तत्काल मायके सूचना दी गई तथा अस्पताल ले जाया गया। इस कारण से अभियुक्ता तथा उसके परिवार का कोई हाथ घटना में नहीं है। मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गई है। विवाह के लगभग 8 साल के अंतराल पर घटना हुई है। जहां तक

आत्महत्या या हत्या का प्रश्न है। इस संबंध में निष्कर्ष विचारण स्तर पर निकाला जाना है। प्रकरण के गुणदोष पर न जाकर परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता श्याम लली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या -65/2026, अन्तर्गत धारा-103(1),85 भा०न्या०सं० थाना छावनी, जनपद बस्ती के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाय।

दिनाँक – 18.07.2026

(शमसुल हक)
सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में आवरण पत्रक-

न्यायालय का नाम-	न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती।
वाद संख्या-	जमानत प्रार्थनापत्र संख्या -1169/2026
वाद शीर्षक-	श्यामलली बनाम उ०प्र० राज्य।
निर्णय की तिथि-	18.07.2026
निर्णय का परिणाम- दोषसिद्धि/खारिज/दोषमुक्ति का व्युत्क्रम/ जमानत आवेदन का निरस्तीकरण	जमानत प्रार्थनापत्र खारिज
निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में सूचित किया गया (हां/नहीं)	हॉ।
अपील/उच्चतर उपचार के अधिकार के संबंध में सूचित किया गया (हां/नहीं)	हॉ।
प्राधिकरण से सम्पर्क का विवरण	
प्राधिकरण का नाम -	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती।
सचिव का नाम-	श्री देवेन्द्र कुमार प्रथम
कार्यालय का पता-	जनपद न्यायालय, परिसर, बस्ती
दूरभाष/ मोबाईल सं०-	9450474651
बेबसाइट-	x x x
ई-मेल	bastidlsa@gmail.com

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता तथा अपील योजित करने के अधिकार के संबंध में विधिक सेवा संस्थानों से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गयी है।

अभिहित/पीठासीन अधिकारी

SHAMSUL HAQUE
SESSIONS JUDGE
BASTI